



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274246
CG-DL-E-08072026-274246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3510]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3510]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3672(अ).—केंद्रीय सरकार, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 101 के अनुसरण में, व्यथित पक्ष द्वारा केंद्रीय सरकार को यह जांच करने के लिए आवेदन करने की रीति और प्रक्रिया अधिसूचित करती है कि क्या किसी स्थापन का कोई कार्यकलाप मूल कार्यकलाप है या अन्यथा:

- कोई व्यथित पक्ष इस आदेश के साथ उपाबद्ध प्ररूप में अपना आवेदन, सभी सुसंगत समर्थक दस्तावेजों के साथ या तो ईमेल (lwa-mole@gov.in) के माध्यम से या स्पीड पोस्ट द्वारा, अवर सचिव (संविदा श्रमिक), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेज सकेगा;
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे आवेदन को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2483 (अ) तारीख 13 मई, 2026 के द्वारा नियुक्त अभिहित प्राधिकारी को संदर्भित कर सकेगा;
- अभिहित प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अपने पास कब्जे में सुसंगत सामग्रियों के आधार पर या ऐसी जांच के पश्चात जैसा वह ठीक समझे, आवेदन प्राप्ति के साठ दिन के भीतर श्रम और रोजगार मंत्रालय को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, रिपोर्ट प्राप्त होने पर, तीस दिन के भीतर उक्त प्रश्न को विनिश्चय करेगा;
- आवेदन को विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा;
- श्रम और रोजगार मंत्रालय का विनिश्चय व्यथित पक्ष को सूचित किया जाएगा।

प्ररूप

किसी संस्थान की गतिविधि मूल कार्यकलाप है या नहीं, इस बारे में पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन।

1	उस स्थापन का नाम और पता जहां संविदा कर्मकार कार्यरत हैं	
2	ठेकेदारों / उप-ठेकेदारों का नाम और पता	
3	ठेकेदार श्रम अनुत्तरित संख्या और तारीख	
4	कार्य आदेश का ब्यौरा	
5	स्थापन में संविदा कर्मकार कब से नियोजित हैं	
6	स्थापन का मूल कार्यकलाप	
7	वह कार्यकलाप जिसमें संविदा कर्मकार नियोजित हैं	
8	कर्मकारों की संख्या	संविदा कर्मकार
		स्थायी कर्मकार
9	विवाद उठाने वाले पक्ष का नाम और पता (प्रमुख नियोक्ता/ठेकेदार/ उप-ठेकेदार/व्यवसाय संघ/कर्मकार)	
10	विवाद का संक्षिप्त विवरण	
11	संलग्न दस्तावेजों की सूची, यदि कोई हो।	

अधोहस्ताक्षरी यह घोषित करता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

[फा. सं. एस-66013/3/2026-आईएसएच-II]

आलोक चंद्र, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3672(E).—In pursuance of rule 101 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, the Central Government hereby notifies the manner and process of making an application by the aggrieved party to the Central Government for examining the question as to whether any activity of an establishment is a core activity or otherwise:

- an aggrieved party may submit an application in the Form annexed to this order along with all relevant supporting documents either through email (lwa-mole@gov.in) or by speed post, to the Under Secretary (Contract Labour), Ministry of Labour and Employment, Government of India;
- the Ministry of Labour and Employment, Government of India may refer such application to the designated authority appointed vide notification number S.O 2483(E) dated the 13 May, 2026;

- (iii). the designated authority upon receipt of such application, on the basis of relevant materials in its possession or after such enquiry as it deems fit, submit a report containing its recommendation to the Ministry of Labour and Employment within sixty days of receipt of the application;
- (iv) the Ministry of Labour and Government shall, upon receipt of the report, decide the question within thirty days;
- (v) the principle of natural justice shall be followed while deciding on the application;
- (vi) the decision of the Ministry of Labour and Employment, shall be communicated to the aggrieved party.

Form

Application by aggrieved party whether an activity of an establishment is a core activity or otherwise.

1	Name and address of the Establishment where contract workers are employed		
2	Name and address of contractors/ sub-contractors		
3	Contractor labour licence No. and Date		
4	Details of work order		
5	Since when the contract workers are employed in the establishment		
6	Core activity of the establishment		
7	Activity in which contract workers are employed		
8	No. of workers	Contract workers	
		Permanent workers	
9	Name and address of the party raising the dispute (Principal employer/ Contractor/ Sub-contractor/ Trade Union/ Workers)		
10	Brief description of the dispute		
11	List of documents attached, if any.		

The undersigned hereby state that the facts furnished above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

Signature of the Applicant

[F. No. S-66013/3/2026-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor